कोटा का हर नागरिक बनें प्रकृति प्रहरी, बड़े बदलाव के लिए जिद और जुनून जरूरी : बिरला

कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया।

कोटा, (निसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अन्तर्गत रविवार को रावतभाटा रोड़ पर मुकुंदरा अभ्यारण्य क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 'वन महोत्सव' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए प्रकृति के प्रहरी के रुप में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का भावपूर्ण आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोटा एक जीवंत और जागरूक शहर है जिसने हर संकट और आपदा के समय एकजुट होकर अनुकरणीय सामर्थ्य दिखाया है। अब समय है कि हम सभी मिलकर कोटा को सबसे स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा शहर बनाने का जनआंदोलन खड़ा करें। यह कार्य केवल सरकार या कोई संस्था नहीं कर सकती। हमें जिद और जुनून से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है, जिसमें हर वर्ग की सहभागिता हो और हर व्यक्ति एक-एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएंगे तो हम बड़ा बदलाव ला सकेंगे।

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कोटा का वायु प्रदूषण सूचकांक (एक्यूआई) बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। यदि हमें इस चुनौती से लड़ना है और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। हमारी संस्कृति में हम प्रकृति की पूजा करते हैं, राजस्थान वह भूमि है जिसने वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है संकल्प की सिर्फ एक जिद कि हम पेड़ लगाएंगे, उन्हें संरक्षित करेंगे और कोटा को हराभरा बनाएंगे।

बच्चों को प्रेरित करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो-बिरला ने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करें, और हर विद्यार्थी जिस पेड़ को लगाए, उसकी देखभाल करे, उसे ट्रैक करें और परिजनों के साथ साझा करे। इससे पर्यावरण-संरक्षण की एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 'पर्यावरण अनुरूप जीवनशैली' और एक पेड़ मां के नाम अभियान से एक संदेश दिया है। जिस प्रकार हमारी माताएं हमें संस्कार और सुरक्षा देती हैं, उसी प्रकार धरती मां भी हमारा पालन करती है। एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर प्रकृति को समर्पित करना सबसे बड़ा पुण्य है।

बजरंग लाल जैसे नागरिकों से लें प्रेरणा-बिरला ने कोटा निवासी पर्यावरण प्रेमी बजरंग लाल का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दिन गोवर्धनपुरा से गुजरते समय मैंने देखा कि बजरंग लाल सड़क किनारे अकेले ही पेड़ लगा रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड भी बना रहे थे। उनके दोनों बेटे प्रतिष्ठित कंपनियों में इंजीनियर हैं, लेकिन वे स्वयं अपने शहर को हरा-भरा बनाने में जुटे हैं। यह समर्पण हम सबके लिए प्रेरणा है। समारोह में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वन विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेड़ों की घटती संख्या के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो न केवल मानव बल्कि समस्त जीव-जंतुओं के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक समय पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाला राज्य रहा है, जिससे पूरी दुनिया ने प्रेरणा ली। लेकिन आज उसी भावना को हमने भुला दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग ने लगभग तीन करोड पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इस वर्ष भी शिक्षा व पंचायत राज विभाग द्वारा शनिवार और रविवार को विशेष अभियान के रूप में स्कूली छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के माध्यम से व्यापक पौधारोपण और संरक्षण का संकल्प लिया गया है।

पौधारोपण को बनाएं जीवन की आदत-ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पौधारोपण को केवल आयोजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जीवन के स्वभाव का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी कोई खुशी या खास दिन आए, तो उसे पौधा लगाकर मनाएं। इस सोच से धरती हरी-भरी बनेगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

पर्यावरण रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी-विधायक कोटा उत्तर संदीप शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बारिश से पहले ही पौधारोपण की तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि समय पर सही स्थानों पर पौधे लगाए जा सकें। सुंदर भविष्य के लिए पौधारोपण जरूरी-लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही हमें भी हर पौधे की उसी भावना से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम धरती मां को सुरक्षित रखेंगे, तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य देगी। उन्होंने आमजन से पौधारोपण करने के साथ ही उसकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की।

पौधारोपण में उमड़ा जनसैलाब, दिखा प्रकृति से जुड़ाव-वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण को लेकर जनसामान्य, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर 10,000 और जिलेभर में 25,000 पौधे लगाए गए। हर पौधे के साथ लोगों की अपनत्व की भावना स्पष्ट रूप से दिख रही थी।

कार्यक्रम में महापौर राजीव अग्रवाल, रामगोपाल बैरवा, पंकज मेहता सहित स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी और नागरिक शामिल हुए। वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर डीएफओ कोटा अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, डीएफओ मुकुंदरा मुथु एस एवं डीएफओ वन्य जीव अनुराग भटनागर सहित वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

कार में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी थाना इलाके में एक व्यक्ति कार में अचेत अवस्था में मिला, जिसे उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि इलाके के सीएडी सर्किल के समीप कार में एक व्यक्ति के अचेत अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार से व्यक्ति को बाहर निकालकर उपचार के लिये अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक दादाबाड़ी निवासी आकेश यादव (46) है जो नशा मुक्ति केन्द्र संस्था में काम करता है, जिसके परिजनों को सूचित किया गया।

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम राशन कार्ड में मोंटी अंकित हो गया है जबकि वास्तविक समस्त दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम नैतिक मेघवाल पुत्र राकेश कुमार मेघवाल है जो कि सही है। अत: भविष्य में मेरे पुत्र को नैतिक मेघवाल के नाम से ही जाना जाये।

पता-राकेश कुमार मेघवाल पुत्र केसरी लाल, निवासी पुलिस चौकी के सामने प्रेम नगर-2, कोटा

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के

(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर प्रथम मुकाम

श्रीमती बालेश बैजल

बनाम

मोहन देवनदास शर्मा

डिग्री बाबत

मुकदमा नं. 84 सन 2019

बनाम-

मुसम्मी कैलाश सोनी वल्द पुत्र श्री स्वरूप चन्द सोनी) कौम सोनी साकिन 2-सी-एचएच-14 विज्ञान नगर कोटा (राज.)।

चूंकि ने डिग्री अदालत घना डिक्रीदार मवर्खे व मुकदमें नं. 77 सन् 2006 की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में वार 16 तारीख 07 माह 2025 को जाहिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करो। आज व तारीख 28 माह 05 सन् 2025 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।

आजा से

वरिष्ठ रीडर/शरिस्तेदार

मोहर अदालत

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश

क्रम-04 जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4609 दिनांक:-4.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोवर्धन लाल गुप्ता उर्फ गोवर्धन लाल पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता निवासी-307 शोपिंग सेंटर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखण्ड संख्या-307 बी शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) नगर निगम, कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या-307 बी शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल-800 वर्ग फुट का कार्यालय नगर निगम कोटा के आदेश पत्र क्रमांक : ननिको/2004/297 दिनांक 19.05.2004 से श्रीमती केसर बाई पत्नी श्री हीरालाल महाजन भुखण्ड संख्या-307 बी शोपिंग सेंटर का नाम हस्तांतरण किया है। श्रीमती केसर बाई पत्नी श्री हीरालाल महाजन ने उक्त भुखण्ड की वसीयत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 14.02.2002 से श्री गोवर्धन लाल गुप्ता उर्फ गोवर्धन लाल पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता के पक्ष में वसीयत की गई है। श्री गोवर्धन लाल गुप्ता उर्फ गोवर्धन लाल पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4608 दिनांक:-4.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री चिरन उदित कुमार गुप्ता उर्फ उदित कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोवर्धन लाल गुप्ता निवासी-307 शोपिंग सेंटर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखण्ड संख्या-307 ए शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) नगर निगम, कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या-307 ए शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल-800 वर्ग फुट का कार्यालय नगर निगम कोटा के आदेश पत्र क्रमांक : ननिको/296 दिनांक 19.05.2004 से श्री बजरंग लाल पुत्र श्री हीरालाल महाजन के नाम भुखण्ड संख्या-307 ए शोपिंग सेंटर का नाम हस्तांतरण किया है। श्री बजरंग लाल पुत्र श्री हीरालाल महाजन ने उक्त भुखण्ड की वसीयत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.01.2009 से श्री चिरन उदित कुमार गुप्ता उर्फ उदित कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोवर्धन लाल गुप्ता के पक्ष में वसीयत की गई है। श्री चिरन उदित कुमार गुप्ता उर्फ उदित कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोवर्धन लाल गुप्ता के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4661-62 दिनांक: 7.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मंजुल कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री राधावल्लभ त्रिपाठी निवासी 400 त्रिपाठी सदन नीलकण्ठ महादेव मंदिर के पीछे रेतवाली कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवास सराय का स्थान रेतवाली कोटा कोटा क्षेत्रफल 1462.50 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। आवास सराय का स्थान रेतवाली कोटा कोटा क्षेत्रफल 2925 वर्गफुट का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड शहर कोटा द्वारा सर्टीफिकेट फरोख्तगी जमीन मिसल नम्बर 581 सम्वत 2016 से श्री राधावल्लभ पुत्र श्री माधो लाल को किया गया। श्री राधा वल्लभ ने उक्त भूखंड में से पूर्ववर्ती हिस्सा 1462.50 वर्गफुट भाग जयें रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 15.03.1966 से श्री रामस्वरूप पुत्र श्री माधो लाल को विक्रय कर दिया। श्री राधा वल्लभ जी की मृत्यु दिनांक 30.11.2014 को हो चुकी है। श्री राधा वल्लभ जी की मृत्यु उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान 1. श्रीमती शांति देवी 2. श्री गिरिराज प्रसाद 3. श्रीमती सरोज शर्मा 4. सुश्री शुभांगी शर्मा 5. सुश्री प्रियांशी शर्मा 6. श्रीमती सुनिता त्रिपाठी 7. श्री प्रफुल्ल त्रिपाठी पिसरान श्री राधा वल्लभ द्वारा शेष बचे हुए पश्चिमवर्ती भाग क्षेत्रफल 1462.50 वर्गफुट का पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20.01.2025 से उक्त में निहित स्वयं के हिस्से का हक आवेदक श्री मंजुल कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री राधावल्लभ त्रिपाठी के पक्ष में त्याग दिया गया है। उक्त आवास सराय का स्थान रेतवाली कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त प्रथम कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। एसडीपी के माध्यम से टीम जीवनदाता व उनके सदस्यों के सहयोग से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है और यह सेवा निरंतर दिन-रात जारी है। टीम जीवन दाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि वह एक पोधारोपण कार्यक्रम में व्यस्त थे, ऐसे में निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला निजार (34) की स्थिति बेहद गंभीर होती चली जा रही थी, उनके पति फिरोज सहित अन्य लोगों ने भी एसडीपी डोनेशन का प्रयास किया लेकिन किसी न किसी रूप में वह असफल होते चले गए व समय निकलता गया। खुद के स्तर पर व्यवस्था नहीं होने से परिजन सकते में आ गए व तनावग्रस्त हो गए। अपना ब्लड सेंटर में ड्यूटी कर रहे टेक्नीशियन वीरेंद्र मालव ने पूरी परिस्थितियों को समझा और शीघ्र ही ए पॉजिटिव एसडीपी डोनेशन के लिए खुद ही तैयार हो गए।

मिस एंड मिसैज हाड़ौती आईकन 2025 का आयोजन

कोटा, (निसं)। हाड़ौती की कला, संस्कृति, परिधान को आगे बढ़ाने को लेकर मिस एंड मिसैज हाड़ौती आईकन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है।

आयोजक शेखर प्रजापति ने बताया कि मिस एंड मिसैज हाड़ौती आईकन में हाड़ौती की प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, शादी से पहले और शादी के बाद यदि अवसर नहीं मिला तो यह सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के महानगर संयोजक मन शर्मा ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से स्वदेशी का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा साथ ही स्व की भावना से यहां पहने जाने वाले परिधानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ.रसीला भूरिया ने बताया कि कोटा शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा की फैशन, परिधान, ग्लेमर की दुनिया में भी कोटा सिरमोर बने और यहां की प्रतिभाओं को उचित मंच मिले, ऐसा प्रयास इस आयोजन के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा मिस एंड मिसैज हाड़ौती आईकन 2025 में भी अपनी भागादारी निभाएगा उसे एक पौधा दिया जाएगा साथ ही उससे संकल्प लिया जाएगा की वह इस पौधे की देखभाल करे और इसे वृक्ष बनाए। हरियालों कोटा अभियान को लेकर पौधा लगाओ, हाड़ौती सजाओं के माध्यम से भी हाड़ौती को हरा भरा करने का प्रयास रहेगा।

शेव्या गौतम माहेश्वरी ने बताया कि घर की चार दीवारी में महिलाओं के साथ उनका टेलेंट भी कैद हो गया है, ऐसी प्रतिभाओं को बाहर लाकर उन्हें आगे बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जा रही है।

विज्ञापन नं. सिपेट: CJ/Advt./TRG/2025-26/10

केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) - जयपुर

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार)

पता: एस.पी. 1298, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, टोंक रोड, जयपुर-302022

ई-मेल: jaipur@cipet.gov.in वेबसाइट: www.cipet.gov.in

सिपेट: डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश

AICTE द्वारा स्वीकृत **रिक्त सीटों हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीधा प्रवेश** NBA से मान्यता प्राप्त

• डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी (डी.पी.एम.टी.) • डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (डी.पी.टी.)

क्र.सं.	प्रवेश वर्ष	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रवेश योग्यता
1	प्रथम वर्ष	3 वर्ष (2 वर्ष 6 माह शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं 6 माह पेड इन्टर्नशिप)	10वीं पास
2	द्वितीय वर्ष (प्रतीक्षा सूची)	2 वर्ष (1 वर्ष 6 माह शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं 6 माह पेड इन्टर्नशिप)	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics / Chemistry/Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship. Or 10th + 2 year ITI shall be eligible for admission to Second Year Diploma Course(s) in Any branch of Engineering and Technology.

कोई उम्र सीमा नहीं/छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास

प्रथम वर्ष ऑनलाइन आवेदन करें:	https://shorturl.at/eN1IE	
द्वितीय वर्ष ऑनलाइन आवेदन करें:	https://shorturl.at/vx7lz	
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	12.07.2025 (प्रथम वर्ष)	31.07.2025 (द्वितीय वर्ष)
मैरिट लिस्ट जारी करने की तिथि	14.07.2025 (प्रथम वर्ष)	01.08.2025 (द्वितीय वर्ष)
फीस जमा करवाने तथा दस्तावेज को प्रमाणित करवाने की अंतिम तिथि	18.07.2025 (प्रथम वर्ष)	08.08.2025 (द्वितीय वर्ष)

उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड — आवेदन शुल्क मात्र रु. 100/-

ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- 9424330788, 9799004172, 9782491626, 9587021761, 9720212091

Email: ltc-jaipur@cipet.gov.in

कुएं से मिला युवक का शव, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

झालावाड़, (निसं)। जिले के रटलाई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव कुंए में मिला है।

इस मामले में रटलाई पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें एक आरोपी मृतक के भाई का दामाद भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक शुक्रवार को घर से निकला था जिसे रास्ते में मिलने पर तीन लोग अपने साथ ले गए थे।

परिजनों ने दर्ज रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि रटलाई थाना क्षेत्र के झितापुरा गांव निवासी शिवलाल (45) साल 4 जुलाई शुक्रवार रात अपने घर आ रहा था, इसी बीच रास्ते में उसे बकानी थाना क्षेत्र के भानपुरिया गांव निवासी अनार सिंह, गिरिराज और थोबड़िया गांव निवासी राजू भील मिले और उसे रास्ते में ही शराब पार्टी की बात कहकर ब्रह्मपुरा चौराहा अपने साथ ले गए। इसी बीच नाइट गश्त के दौरान रास्ते में खड़ी शिवलाल की बाइक को पुलिस कर्मी थाने ले गए और परिजनों को सूचना दी, इस पर परिजन थाने पहुंचे जहां बाइक की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी।

इसी बीच ब्रह्मपुरा कुएं में शव होने की जानकारी लगने पर रविवार शाम को ग्रामीणों की मदद से शव निकलवा कर पुलिस ने झालावाड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने पर आज नामजद हत्या का मामला तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रटलाई थानाधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच के बाद हत्या का सही कारण पता चल सकेगा। वही परिजनों ने बताया कि आरोपियों में अनार सिंह मृतक शिवलाल के भाई लालचंद का दामाद है।

गोल्ड मेडल जीता

कोटा, (निसं)। नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में कोटा के अशोक पाल सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगता में देशभर के सभी राज्यों के लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा शूटिंग भाग लिया था। इस दौरान 22 बोर 50 मीटर प्रोन राईफल शूटिंग में कोटा के अशोक पाल सिंह ने 600 में से 574 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित कर गोल्ड मेडल जीता। अशोक पाल सिंह ने बताया कि वह पिछले 15 साल से राईफल व पिस्टल शूटिंग की कोचिंग देते हैं। सात वर्ष बाद वापस शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य अपने शिष्यों का मनोबल बढ़ाना है। गत वर्ष उनकी पुत्री नंदिका सिंह ने भी नेशनल शॉट गन शूटिंग कंपटीशन में पदक अर्जित कर कोटा का नाम रोशन किया था।

बारिश में राहत बनकर पहुंचे तिरपाल और राशन के कट्टे

नव्या क्लब ने बारिश में राहत पहुंचाने के लिए तिरपाल और राशन के कट्टे वितरित किए हैं।

कोटा, (निसं)। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यहीं एक बात चलेगी बाबा पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा की प्रेरणा लिए नव्या क्लब के सदस्यों ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है।

नव्या क्लब की संस्थापक अध्यक्षा आशिता माहेश्वरी ने बताया कि हाल ही में हो रही भारी बारिश से प्रभावित कच्ची बस्ती और झोपड़पट्टी में रह रहे परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से क्लब की टीम ने तिरपाल लगाए जिससे उनका आशियाना बारिश से बच सके। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को आटे के कट्टे भी वितरित किए गए ताकि उनके भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि बारिश के कारण गरीबों के आजीविका भी प्रभावित होती है कई गरीब लोग दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और बारिश के कारण काम करने में मुश्किल आती है।

बारिश के कारण भोजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है। कई गरीब परिवारों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। क्लब की अध्यक्षा पूजा गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि उन चेहरों पर मुस्कान लाना है जो तकलीफों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ते।

नव्या क्लब के इस मानवीय प्रयास की क्षेत्रवासियों ने सराहना की और बताया कि बारिश के कारण रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी ऐसे में यह सहयोग संजीवनी जैसा लगा। सेवा, सहानुभूति और समर्पण की इस मिसाल ने यह साबित कर दिया कि थोड़े से प्रयास से किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस अवसर पर नव्या क्लब के सदस्य लिली जैन, उमंग भार्गव, रजनी मोदी, सुमन मात्स्यिला, बिना तोषनीवाल, नीलिमा तोषनीवाल, रीमा महेश्वरी, ममता तोषनीवाल, ज्योति पनवाड़, उमा अटल, सीमा महेश्वरी, उषा फलोर, बीना मंत्री, शिवांगी अग्रवाल, अलका बाहेड़िया, शानू जागेटिया, कांता फलोड, लक्ष्मी शर्मा आदि उपस्थित थे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1346 दिनांक:-7.7.2025

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-34 जवाहर मार्केट योजना का भूखंड आवंटी श्री रंगलमल सचदेवा पुत्र श्री किशना मल सचदेवा को भूमि के तहत आवंटित किया गया था। जिसकी राशि प्राधिकरण में 31.01.1979 को जमा हो चुकी है। श्री रंगलमल सचदेवा पुत्र श्री किशना मल सचदेवा की मृत्यु दिनांक 30.12.1996 को हो चुकी है। श्री रंगलमल सचदेवा के विधिक वारिसानों के द्वारा पारिवारिक हक त्याग पत्र दिनांक 21.08.2007 के द्वारा श्री हंसराज पुत्र श्री रंगलमल के पक्ष में हक त्याग किया गया है। हक त्याग ग्रहिता हंसराज के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र, शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि दस्तावेज सहित अपने नाम नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर प्राप्त विधिक राय के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नाम हस्तांतरण किया जाना आपेक्षित है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-34 जवाहर मार्केट योजना का नाम हस्तांतरण श्री हंसराज पुत्र श्री रंगलमल के नाम स्वीकृति कर दी जावेगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025 दिनांक:-

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखंड संख्या 975 बालाजी नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 381 दिनांक 10.06.1996 को श्री विजय कुमार पुत्र श्री लालचन्द के नाम आवंटन किया गया था। श्री विजय कुमार पुत्र श्री लालचन्द द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री अनवर अली पुत्र श्री अब्दुल गफूर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2018 को श्री अमृतलाल पुत्र श्री मांगीलाल को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री अमृतलाल पुत्र श्री मांगीलाल द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 975 बालाजी नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अमृतलाल पुत्र श्री मांगीलाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101026 **लोकसूचना** दि.07.07.2025

श्री KISAAN PRIME ESTATE PVT. LTD. THROUGH RAJPAL SAINI पुत्र श्री KEDAR MAL SAINI जाति MALI निवासी KHARK SINGH WALI GALI, JHAJHAR, JHUNJHUNUN, RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामनगर, लाडपुरा (कोटा)	KISAAN PRIME ESTATE PVT. LTD. NI.- PLOT NO 11A, SHIVSHANKAR COLONY. MANSAROVER METRO STATION JAIPUR	678/677	420	0.042
			682/673	250	0.025
			684/680	300	0.03
			686/99	80	0.008
				कुल	0.105

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/07/2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/100996 **लोकसूचना** दि.07.07.2025

श्री M/S VRB DEVELOPERS LLP THROUGH BHUPERNDRA JHURIA पुत्र श्री MAHENDRA SINGH जाति JAT निवासी GRAM-PALRI,TEH.-BHADRA,PALRI BHADI HANUMANGARH ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामनगर, लाडपुरा (कोटा)	M/S VRB DEVELOPERS LLP NI. GROUND FLOOR, PLOT NO. A1, SCHEME NO. - 11A SHIVSHANKAR COLONY, MANSAROVER METRO STATION, NEW SANGANER ROAD MANSAROVER JAIPUR KHATEDAR	683/673	150	0.015
			685/680	400	0.04
			687/99	120	0.012
			689/655	14	0.0014
			690/655	66	0.0066
			692/108	90	0.009
			694/675	200	0.02
				कुल	0.104

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/07/2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3193 **आपत्ति सूचना** दिनांक:-07.07.2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर उनके नाम के आगे अंकित भूखंड का व्यावसायिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आपत्ति प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज एवं सबूत के अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखंड संख्या, साईज व स्थान	चाहा गया भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्रीमती विनिता वैष्णव पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार वैष्णव जाति वैष्णव निवासी प्रताप नगर प्रथम तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)	भूखंड सं. 12, 23x40=920 वर्गफीट भूखंड सं. 01, 22.8x50=1137 वर्गफीट	व्यवसायिक/मिश्रित व्यवसायिक/मिश्रित

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3206 दिनांक:-07.07.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री शफीक शाह आत्मज श्री अहमद शाह जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास छबड़ा तह. छबड़ा जिला (बारां)	721	गाँधी नगर कालोनी छबड़ा	17-B	20x40=800 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3203 दिनांक:-07.07.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 के अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्रीमती बिन्नो बाई पत्नी श्री राम बक्स जाति लोधा निवासी राजपुरा तह. छबड़ा जिला (बारां)	159, 160, 161	मारुति नगर द्वितीय कालोनी छबड़ा	414	20x40=800 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3200 दिनांक:-07.07.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 के अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री नन्दकिशोर लोधा आत्मज श्री रामनाथ लोधा जाति लोधा निवासी राजपुरा तह. छबड़ा जिला (बारां)	154, 155,	धनलक्ष्मी विहार कालोनी छबड़ा	106	20x40=800 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा